



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04092025-265951
CG-DL-W-04092025-265951

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33]

नई दिल्ली, अगस्त 24—अगस्त 30, 2025, शनिवार/भाद्र 2—भाद्र 8, 1947

No. 33]

NEW DELHI, AUGUST 24—AUGUST 30, 2025, SATURDAY/BHADRA 2—BHADRA 8, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

का.आ. 1572.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री काली चरण मिश्रा, श्री कमल लोचन कार, श्री शुभाशीष मिश्रा, श्री जंग्या प्रकाश परिदा और श्री सुशांता कुमार नाथ, अधिवक्ताओं को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों में, भुवनेश्वर में स्थित विचारण न्यायालय के समक्ष संस्थित किए गए मामलों में और विधि द्वारा स्थापित किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में इन मामलों से उद्भूत अपील, पुनरीक्षण या अन्य मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/14/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department Of Personnel And Training)**

New Delhi, the 30th July, 2025

S.O. 1572.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Sh. Kali Charan Mishra, Sh. Kamal Lochan Kar, Sh. Subhashis Mishra, Sh. Jangya Prakash Parida and Sh. Susanta Kumar Nath, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting prosecution of the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) as entrusted to them by the Central Bureau of Investigation in the trial courts at Bhubaneswar and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in any appellate or revisional courts established by law for a period of three years from the date of assumption of charge or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/14/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 1573.—केंद्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. जी.ओ.(2डी) सं. 209, दिनांक 11.07.2025, गृह (पुलिस-VIII) विभाग के माध्यम से जारी तमिलनाडु राज्य सरकार की सम्मति से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 303(2) के अधीन तिरुपुवनम पुलिस थाना, शिवगंगई जिला के अपराध संख्या 302/2025 में पंजीकृत मामले का अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त तमिलनाडु राज्य में करती है और केस डायरी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित करती है।

[फा. सं. 228/60/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 1573.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Tamil Nadu, issued vide Notification No. G.O.(2D).No.209 dated 11.07.2025, Home (Police-VIII) Department, hereby extends the powers and jurisdiction of members of the Delhi Special Police Establishment in the whole of the State of Tamil Nadu to investigate the case registered in Crime No.302/2025 under section 303(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023), Thiruppuvanam Police Station, Sivagangai District and transfers the Case Diary to the Central Bureau of Investigation.

[F. No. 228/60/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 1574.—केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अयान चक्रवर्ती, श्री एसके. संजीव अहमद और मोहम्मद ऐजाज़ कासिम अधिवक्ताओं को पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता के विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों के अभियोजन का और इन मामलों से उद्भूत, अपील, पुनरीक्षण और अन्य मामलों का विधि द्वारा स्थापित अपील या पुनरीक्षण न्यायालयों में संचालन करने हेतु नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/19/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 1574.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Ayan Chakraborty, Sk. Sanjib Ahmed and Md. Ejaz Quasim, Advocates as Special Public Prosecutors, for conducting the prosecution of the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) in the trial courts at Kolkata, in the State of West Bengal and any appeal, revision or other matters arising out of these cases in any appellate or revisional court established by law for a period of three years or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/19/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 1575.—केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री लालरेमल्लुअंगा, अधिवक्ता को माननीय गुवाहटी उच्च न्यायालय (आइजोल पीठ), के समक्ष दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों से उद्भूत अभियोजन, अपील, पुनरीक्षण और अन्य मामलों का संचालन करने हेतु नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/18/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 1575.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Lalremtlunga, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution, appeals, revisions and other matters arising out of the cases instituted by Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation), before the Hon'ble High Court of Gauhati (Aizawl Bench), for a period of three years from the date of his appointment or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/18/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 1576.—केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अखिलेश, सुश्री रजनी गुप्ता, श्री कमल कान्त गोयल, श्री प्रेमतोष कुमार मिश्रा और श्री विक्रान्त पचनन्दा अधिवक्ताओं को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों से उद्भूत अभियोजन, अपील, पुनरीक्षण और अन्य मामलों का संचालन करने हेतु नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/17/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 1576.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Akhilesh, Ms. Rajni Gupta, Shri Kamal Kant Goel, Shri Premtosh Kumar Mishra and Shri Vikrant Pachnanda, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution, appeal, revision and other matters arising out of the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation), before the Hon'ble Delhi High Court, for a period of three years from the date of their appointment or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/17/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 1577.—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 की अधिनियम सं. XXV) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस उपमहानिरीक्षक/शाखा प्रमुख, सीबीआई, एसीबी, रांची के दिनांक 07.07.2025 के पत्र संख्या 648/2025-आर द्वारा किए गए अनुरोध पर झारखंड राज्य सरकार की अधिसूचना ज्ञापन सं.-10/सी.बी.आई.-421/2025-4523, रांची, दिनांक 21.07.2025, गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से जारी सम्मति से, श्री दिलीप सिंह मीणा, उप डाकपाल, मनोहरपुर, उप डाकघर, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड, डाक विभाग, संचार मंत्रालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथासंशोधित) की धारा 7 के तहत अपराध करने के लिए दिनांक 21.07.2025 को पंजीकृत आरसी0242025ए0011 में, साथ ही इस मामले के अन्वेषण के दौरान प्रकाश में आए किन्हीं अन्य अपराधों एवं ऐसे एक या उससे अधिक अपराधों से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों) के लिए, नियमित मामला दर्ज करने और अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार (कार्योत्तर प्रभाव से दिनांक 21.07.2025 से) झारखंड राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/61/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 1577.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.-10/C.B.I.-421/2025-4523, Ranchi, Dated 21.07.2025, Home, Prisons and Disaster Management Department upon request made vide letter number 648/2025-R, dated 07.07.2025 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi, hereby extends the power and jurisdiction to all the members of Delhi Special Police Establishment in the State of Jharkhand (ex post facto w.e.f. 21.07.2025) for registration and investigation in RC0242025A0011 registered on 21.07.2025 against Mr. Dileep Singh Meena, Sub Post Master, Manoharpur Sub Post Office, District West Singhbhum, Jharkhand, Department of Post, Ministry of Communication for committing offence u/s 7 of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offences that may come to light during investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/61/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 1578.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक/शाखा प्रमुख, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, रांची के दिनांक 10.07.2025 के पत्र संख्या-664/एसआई-04/2025-सीबीआई, एसीबी, रांची द्वारा किए गए अनुरोध पर अधिसूचना ज्ञापन सं.-10/सी.बी.आई.-422/2025-4598, रांची, दिनांक 24.07.2025, गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से जारी झारखंड राज्य सरकार की सम्मति से श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक सुरक्षा उप-निरीक्षक, भुरकुंडा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (बीटीटीआई), सीसीएल, जिला रामगढ़ और अज्ञात लोक सेवकों एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में यथासंशोधित) की धारा 7, 8 एवं 12 के अंतर्गत कारित अपराधों और इस मामले के अन्वेषण के दौरान सामने आने वाले अन्य अपराध(धों) सहित ऐसे एक या उससे अधिक

अपराधों से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किन्हीं अन्य अपराध(धों) के लिए नियमित मामले के पंजीकरण हेतु उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार झारखंड राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/63/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 1578.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.-10/C.B.I.-422/2025-4598, Ranchi, dated 24.07.2025, Home, Prisons and Disaster Management Department upon request made vide letter No.-664/SI-04/2025-CBI ACB Ranchi, dated 10.07.2025 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi, hereby extends the powers and jurisdiction to all the members of Delhi Special Police Establishment under the said Act in the State of Jharkhand for registration of a regular case against Sh. Sanjeev Kumar Singh, Assistant Security Sub Inspector at Bhurkunda Technical Training Institute (BTI), CCL, Distt. Ramgarh and unknown public servants and private persons for committing offences u/s 61(2) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 r/w section 7, 8 and 12 of Prevention of Corruption Act, 1988 (As amended in 2018) and other offence(s) that may come into light during investigation of the case including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/63/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 1579.—केंद्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश सं. एचडी 29 सीओडी 2025, बेंगलुरु, दिनांक 27.06.2025 के माध्यम से जारी कर्नाटक राज्य सरकार की सम्मति से श्री विजय कुमार, उप निदेशक, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान दक्षिण, ईएसआईसी, गुलबर्गा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(ई) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथा संशोधित) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(बी) के अंतर्गत किए गए अपराध और इसके अन्वेषण के दौरान प्रकाश में आने वाले अन्य अपराध का पंजीकरण एवं अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार करती है।

[फा. सं. 228/65/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 1579.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Karnataka, issued vide order No. HD 29 COD 2025, Bengaluru, dated 27.06.2025, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for registration and investigation of offence against Shri Vijay Kumar, Deputy Director, Zonal Training Institute South, ESIC, Gulbarga under section 13(2) read with section 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and under section 13(2) read with section 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence(s) that may come to light during investigation.

[F. No. 228/65/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 1580.—केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अतुल शर्मा, श्री रमन कुमार, श्री अरूणेन्द्र सिंह, श्री ऋषि राज

शर्मा, सुश्री रुद्राणी त्यागी और श्री संजय शर्मा, अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों के अभियोजन का और इन मामलों से उद्भूत, अपील, पुनरीक्षण और अन्य मामलों का विधि द्वारा स्थापित अपील या पुनरीक्षण न्यायालयों में संचालन करने हेतु नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/20/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 1580.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Sh. Atul Sharma, Sh. Raman Kumar, Sh. Arunendra Singh, Sh. Rishi Raj Sharma, Ms. Rudrani Tyagi and Sh. Sanjay Sharma, Advocates as Special Public Prosecutors, for conducting prosecution of the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) in the trial courts at the National Capital Territory of Delhi and any appeal, revision or other matters arising out of these cases in any appellate or revisional court established by law for a period of three years from the date of their appointment or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/20/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

का.आ. 1581.—केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अनुपम एस शर्मा, अधिवक्ता को मुंबई के विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संस्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों, आरसी बीएसएम 2015 ई0006 (किंगफ़िशर एयरलाइन - आईडीबीआई मामला) और आरसी बीडीआई 2016 ई0008 (किंगफ़िशर एयरलाइन - एसबीआई कॉन्सॉर्टियम मामला), के अभियोजन का और इन मामलों से उद्भूत, अपील, पुनरीक्षण और अन्य मामलों का विधि द्वारा स्थापित अपील या पुनरीक्षण न्यायालयों में संचालन करने हेतु मामले का निपटान होने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/16/2025-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 2025

S.O. 1581.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Anupam S Sharma, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting prosecution of CBI cases RC BSM 2015 E0006 (Kingfisher Airlines- IDBI Case) and RC BD1 2016 E0008 (Kingfisher Airlines- SBI Consortium case) instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) in the trial courts at Mumbai and any appeal, revision and other matters arising out of these cases in any appellate or revisional Court established by law, till disposal of the cases or until further order, whichever is earlier.

[F. No. 225/16/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 1582.—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम 1962 (1962 का 50), (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2 की उपधारा (क) के अनुसरण में, केंद्र

सरकार उक्त अधिनियम के अधीन नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित व्यक्ति को कॉलम (2) में उल्लिखित क्षेत्रों के संबंध में कॉलम (3) में उल्लिखित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिचालन पेट्रोलियम पाइपलाइनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए अधिकृत करती है।

व्यक्ति का नाम एवं पता	क्षेत्राधिकार क्षेत्र	पेट्रोलियम पाइपलाइनों का नाम
(1)	(2)	(3)
श्री जे० मधु, प्रचालन प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दक्षिणी क्षेत्र पाइपलाइन्स, बेंगलुरु	कर्नाटक राज्य	1. चेन्नई-बेंगलोर पाइपलाइन (सीबीपीएल) 2. देवांगोथी-देवनहल्ली पाइपलाइन (डीडीपीएल)

इससे पूर्व एस.ओ. संख्या 1257 दिनांक 21.06.2024 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में दिनांक 29.06.2024 प्रकाशित कर्नाटक राज्य में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए पहले अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी श्री राजांशु रंजी, प्रचालन प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दक्षिणी क्षेत्र पाइपलाइन, बंगलौर, को डी-नोटिफ़ाइड समझा जाए।

यह अधिसूचना इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आर-11025(11)/239/2017-ओआर-I/E-13892]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 1582.—In Pursuance of sub section (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said act), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the table given below to perform the functions of the Competent authority under the said Act for IndianOil Corporation Limited in respect of areas mentioned in column (2) for its operational petroleum pipelines laid under the said Act mentioned in column (3) of the said Table:

Name & Address of Person	Area of Jurisdiction	Name of Petroleum Pipelines (s)
(1)	(2)	(3)
Shri J. Madhu, Operations Manager, IndianOil Corporation Limited, Southern Region Pipelines, Bangaluru	Karnataka state	1. Chennai-Bangalore Pipeline (CBPL) 2. Devanagonthi-Devanahalli Pipeline (DDPL)

Earlier notified Competent Authority for Indian Oil Corporation Limited in Karnataka State, Shri Rajanshu Ranjee, Operations Manager, Indian Oil Corporation Limited, Southern Region Pipelines, Bangalore, vide SO No 1257 dated 21.06.2024 published in the Gazette of India dated 29.06.2024 stand de-notified.

The Notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(11)/239/2017-OR-I/E-13892]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

का.आ. 1583.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, कोयला मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:-

1. राजहरा क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, बाईपास रोड, धोबी टोला, चँदवा, जिला-लातेहार, झारखंड-829203
2. मगध-संघमित्रा क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, पोस्ट-बचरा, थाना-पिपरवार, जिला-चतरा, झारखंड-829201
3. आम्रपाली-चन्द्रगुप्त क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, होन्हे, टंडवा, पोस्ट-कसियाडीह, जिला-चतरा, झारखंड-825321
4. गिरिडीह क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, पोस्ट-बनियाडीह, जिला-गिरिडीह, झारखंड-815316

[फा. सं. 13012/1/2017-हिंदी]

आस्था जैन, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 21st August, 2025

S.O. 1583.—In pursuance of sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), Central Government hereby notifies the following Regional Offices of Central Coalfields Limited under the control of Ministry of Coal wherein the percentage of the staff having working Knowledge of Hindi has gone above 80% :-

1. Rajhara Area, Regional Office, Central Coalfields Limited, Bypass Road, Dhobi Tola, Chandwa, District-Latehar, Jharkhand-829203
2. Magadh-Sanghmitra Area, Regional Office, Central Coalfields Limited, Post-Bachra, Police Station-Piparwar, District-Chatra, Jharkhand-829201
3. Amrapali-Chandragupta Area, Regional Office, Central Coalfields Limited, Honhe, Tandwa, Post-Kasiyadih, District-Chatra, Jharkhand-825321
4. Giridih Area, Regional Office, Central Coalfields Limited, Post-Baniadih, District-Giridih, Jharkhand-815316

[F. No. 13012/1/2017-HINDI]

AASTHA JAIN, Jt. Director